कार्यालय नगर निगम, देहरादून।

निविदा सूचना

वित्तीय दो वर्षों (वर्ष 2023–24 व 2024–25) हेतु नगर निगम, देहरादून क्षेत्रांतर्गत मृत पशुओं को उठाने एवं निस्तारित करने हेतु अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार इच्छुक फर्म/व्यक्तियों/कम्पनियों को निविदा हेतु आमंत्रित किया जाता है। निविदा फार्म नगर निगम, देहरादून के वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी कार्यालय से दिनाँक 20.03.2023 तक प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 2:00 बजे तक प्राप्त कर सांय 4:00 बजे तक जमा करनी होंगी, जो दिनाँक–21.03.2023 को सांय 4:00 बजे अथवा उसके बाद खोली जाएंगी। निर्धारित अवधि के उपरांत किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

नगर आयुक्त,
नगर निगम, देहरादून

कार्यालय नगर निगम, देहरादून।

पत्रांकः–240(P.A)   दिनाँकः–03/03/2023

1. सम्पादक **अमर उजाला (देहरादून संस्करण)** को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को अपनी व्यवसायिक दरों में **निर्धारित प्रतिशत** छूट देते हुए समाचार पत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करते हुए बिल भुगतान हेतु दो समाचार पत्र प्रति सहित नगर निगम को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. सम्पादक **राष्ट्रीय सहारा (देहरादून संस्करण)** इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को अपनी व्यवसायिक दरों में **निर्धारित प्रतिशत** छूट देते हुए सामाचार पत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करते हुए बिल भुगतान हेतु दो समाचार पत्र प्रति सहित नगर निगम को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. आई0टी0 अधिकारी को इस आशय के साथ प्रेषित कि निविदा सूचना नगर निगम की वेब साईट पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. नगर निगम नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी,
नगर निगम, देहरादून।

नगर निगम, देहरादून (पशुचिकित्सा अनुभाग)

वित्तीय वर्ष 2023–24 व 2024–25 हेतु नगर निगम, देहरादून क्षेत्रांतर्गत मृत पशुओं को उठाने एवं निस्तारित करने हेतु निविदा की शर्ते व नियम

1. निविदा तथा कार्य के सम्बन्ध में कोई जानकारी निगम के वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी कार्यालय में दिनाँक–20.03.2023 तक प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 2:00 बजे तक (रविवार एवं अवकाश के दिवस को छोड़कर) प्राप्त कर सकते हैं। निविदा फार्म क्रय उपरांत यह समझा जायेगा कि ठेकेदार ने कार्य के सम्बन्ध में समस्त जानकारी प्राप्त कर ली है। निविदाएँ दिनाँक–20.03.2023 को सांय 4:00 बजे तक जमा करनी होंगी जो दिनाँक–21.03.2023 को सांय 4:00 बजे अथवा उसके बाद खोली जाएंगी।
2. निविदा सील बन्द मजबूत लिफाफों में नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून के नाम से भेजनी आवश्यक हैं, जो वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी, नगर निगम, देहरादून कार्यालय कक्ष संख्या–12 में निविदा बॉक्स में डाला जाना अनिवार्य है। किसी अन्य अधिकारी के नाम निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। लिफाफे पर "निविदा" शब्द लिखा जायेगा व लिफाफे पर निविदादाता का नाम और पता साफ–साफ अंकित होगा। बगैर सील बन्द निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
3. निविदाओं पर निर्णय नगर आयुक्त द्वारा अथवा निगम द्वारा इस आशय से अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किया जायेगा। निविदा नोटिस में दिये गए निर्धारित समय पर निविदा खोली जाएंगी, यदि निविदादाता चाहें तो निविदा खोलने के समय उपस्थित हो सकते हैं।
4. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता का ही नियमानुसार वित्तीय निविदा खोली जायेगी। किसी भी निविदा को स्वीकृत करने अथवा बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार निगम में निहित होगा। यह आवश्यक नहीं है कि न्यूनतम अथवा अन्य निविदा स्वीकार ही की जाय।
5. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून के लिखित अनुमोदन के बगैर ठेका मान्य नहीं होगा।
6. निविदा में सम्मिलित होने हेतु व्यक्ति/फर्म/कम्पनी ही पात्र होगें, जो कि उत्तराखण्ड़ राज्य में पंजीकृत होनी अनिवार्य है।
7. निविदादाता पर नगर निगम की कोई देयता निविदा तिथि तक शेष नहीं होनी चाहिए, न ही किसी कार्यालय/संस्था द्वारा कभी ब्लैकलिस्टेड होनी चाहिये। इस आशय का स्व–प्रमाण पत्र 100/– रू0 के (Non Judicial Stamp Paper) स्टाम्प पेपर पर निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
8. निविदादाता को निविदा राशि सुस्पष्ट पठनीय शब्दों व अंको में अंकित करनी होगी।
9. इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को तकनीकी निविदा पत्र के साथ चरित्र प्रमाण–पत्र (06 माह से अधिक का ना हो) तथा संस्था का पंजीकरण प्रमाण–पत्र आदि अभिलेख संलग्न करने अनिवार्य हैं।
10. निविदा के साथ रू0 35,000.00 की अर्नेस्ट मनी ड्राफ्ट/सी0डी0आर0/एफ0डी0आर0 धरोहर के रूप में जो वित नियंत्रक, नगर निगम, देहरादून के नाम बंधक हो तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
11. मृत पशु से तात्पर्य समस्त मृत जानवर जिसमें गाय, सांड, भैंस, बैल, बछड़ा, बछड़ी, घोड़ा, गधा, खच्चर, कटड़ा, कट़ड़ी कुत्ते, बिल्ली, सुअर, भेड़, बकरी से है।
12. निविदा केवल नगर निगम, देहरादून क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित 100 वार्ड के निराश्रित पशु तथा केदारपुर स्थित कांजीहाउस एवं शंकरपुर स्थित गौसदन से मृत पशु के शव उठाने एवं निस्तारण की है।
13. मृत पशु संबंधी सूचना मिलने पर ठेकेदार को अधिकतम 5 घंटे के अन्दर मृत पशुओं को उठा लेना अनिवार्य होगा अन्यथा निगम की अन्य व्यवस्था से मृत पशु उठाने पर उसके व्यय शुल्क रूपये 1000 प्रति की दर से ठेकेदार को देय धनराशि से कटौती कर लिया जायेगा।
14. मृत पशु विषयक सूचना हेतु ठेकेदार को एक या अधिक ऐसा दूरभाष/मोबाईल नं0 उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा जो 24×7 उपलब्ध रहे अन्यथा दूरभाष/मोबाईल पर संपर्क न हो पाने की दशा में रूपये 1000 प्रति की दर से ठेकेदार को देय धनराशि से कटौती कर लिया जायेगा।

कमशः–2

15. विगत 3 वर्ष (19–20, 20–21, 21–22) के सप्लाई करने का अनुभव संबंधी प्रमाण–पत्र (Work Order) साक्ष्य सहित तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा तथा धनराशि संबंधी निर्धारित निविदा प्रपत्र वित्तीय निविदा के रूप में संलग्न करना होगा। कोई भी कथन मिथ्या पाये जाने पर ठेकेदार/फर्म एवं फर्म स्वामी/शेयर होल्डर को ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा।
16. यदि L_1 कार्य करने में असमर्थ रहता है तो L_2 के सहमत होने पर L_1 की दरों पर कार्य करने हेतु कार्यादेश जारी किया जायेगा तथा L_1 की ई0एम0डी/कार्यपूर्ति धरोहर राशि जब्त कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
17. सफल निविदादाता द्वारा कार्य करने में subletting नहीं किया जायेगा।
18. अनुबंधित समिति मृत पशु शव निस्तारण हेतु यथोचित स्थल की स्वयं व्यवस्था करेगी और निस्तारण स्थल उपलब्ध कराना नगर निगम का उत्तरदायित्व नहीं होगा।
19. मृत पशु के शव को किसी आबादी के कम से कम 200 मीटर की दूरी पर निस्तारित करना होगा।
20. संक्रामक रोग से पीड़ित मृत पशु की खाल/हड्डियां प्रयोग में नहीं लायी जायेंगी, ऐसे पशु को बिना खाल निकाले जमीन में 4 फीट नीचे दबाया जायेगा।
21. सफल निविदादाता को कार्यपूर्ति धरोहर के रूप में रू0 50,000/– की धनराशि सावधि जमा रसीद/बैंक गारंटी के रूप में वित नियंत्रक, नगर निगम, देहरादून के पक्ष में होना अनिवार्य है व 27 माह तक वैध होना आवश्यक है, तत्पश्चात आपको कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।
22. मृत पशु को इस प्रकार ढककर उठाकर ले जाया जाये कि राहगीरों को न दिखाई दें।
23. अनुबन्ध की अवधि 02 वर्ष (वित्तीय वर्ष 2023–24 व 2024–25) की होगी। सफल निविदादाता के कार्य से संतुष्ट न होने पर अनुबंध 02 वर्ष से पहले समाप्त किया जा सकता है। 2 वर्ष की समाप्ति उपरांत संतोषजनक कार्य रहने की दशा में अनुबंध को आपसी सहमति एवं सुसंगत नियमों के आधार पर बढ़ाये जाने पर विचार किया जा सकता है।
24. किसी भी शर्त के उल्लघंन पर नगर निगम को अधिकार होगा कि वह अनुबंध को निरस्त कर दें।
25. निविदा प्रपत्र एवं शर्ते रू0 1000+GST@18%= 1180/–रू0 के नकद भुगतान पर वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी कार्यालय से दिनांक–20.03.2023 को अपराह्न 2:00 बजे तक क्रय किये जा सकते हैं। निविदा सूचना नगर निगम, देहरादून के वेबसाईट http://nagarnigamdehradun.com पर भी उपलब्ध रहेगी।

उपरोक्त कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए विभाग द्वारा ठेकेदार को केवल एक बार ही सूचित किया जाना पर्याप्त होगा।

मैने उपरोक्त नियमों एवं शर्तो का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लिया है यदि यह निविदा स्वीकृत होती है तो मैं/हम उपरोक्त नियमों एवं शर्तो का पालन करते हुए निर्धारित अवधि में कार्य करने एवं भुगतान करने हेतु सहमत हूॅ/हैं। मैंने कार्य सम्बन्धी सभी विवरण देख लिये हैं व समस्त जानकारी प्राप्त कर ली है।

हस्ताक्षर ठेकेदार ....

नाम: ....

पता: ....

मो0न0..

वरिष्ठ पशुचिकित्सा अधिकारी
नगर निगम, देहरादून